

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 29, Wednesday, April 12, 2017/Chaitra 22, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
SUBMISSION BY MEMBERS	
Re: Reported uncharitable remarks made by a political activist of West Bengal against the Chief Minister of West Bengal	9-11
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 541 to 546	14-54
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 547 to 600	55-98
Unstarred Question Nos. 6211 to 6440	99-631

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 632-645

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 646

**LEAVE OF ABSENCE FROM
SITTINGS OF THE HOUSE** 647

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
74th Report 648

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND
RESOLUTIONS**
Minutes 648

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES**
11th Report 648

**STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL
AFFAIRS**
Statement 649

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
17th Report 649

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of External Affairs
- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of External Affairs

Gen. Vijay Kumar Singh 650

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2016- 17) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Shri Rajiv Pratap Rudy

650

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 237th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 230th Report of the Committee on the issues related to security at Airports in India pertaining to the Ministry of Civil Aviation

Shri Jayant Sinha

651

- (iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 265th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
- (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 270th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
- (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 273rd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

Shri Babul Supriyo

651-652

MATTERS UNDER RULE 377 653-678

- (i) Regarding inclusion of aborigines of Santhal Pargana in the list of Scheduled Tribes

Shri Nishikant Dubey 654

- (ii) Need to run a direct train between Surat and Mumbai

Shrimati Jayshreeben Patel 655

- (iii) Need to stop ongoing survey by ONGC in Mumbai High at B-157 and give compensation to fishermen for the loss

Shri Chintaman Wanaga 656

- (iv) Need to provide a stoppage of Jan Shatabdi Express (Train No. 12069/70) at Bilha Railway Station in Bilaspur Parliamentary Constituency, Chhattisgarh

Shri Lakhan Lal Sahu 657

- (v) Need to review the list of Scheduled Tribes and delete the ineligible Tribes not fulfilling the fixed norms from the list

Shri Mansukhbhai D. Vasava 658

- (vi) Need to set up Skill Development Centres in Dibrugarh, Assam

Shri Rameswar Teli 659

- (vii) Need to accord approval to the proposal for setting up a new steel plant at Chatra in Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 660

- (viii) Need to reduce wastage of food

Shri Rattan Lal Kataria 661

- (ix) Need to enhance the amount of rehabilitation package for families displaced from Sariska, Ranthambhore and Mukundra Hills Tiger Reserves in Rajasthan

Dr. Manoj Rajoria 662

- (x) Need to construct adequate number of mobile towers in Goa
Adv. Narendra Keshav Sawaikar 663
- (xi) Need to accord Central University status to University of Rajasthan
Shri Ramacharan Bohara 664
- (xii) Regarding problems being faced by people living in remote and inaccessible areas situated near international border
Col. Sona Ram Choudhary 665-666
- (xiii) Need to set up a separate Railway Zonal Headquarters and office of IRCTC at Ranchi, Jharkhand
Shri Ram Tahal Choudhary 667
- (xiv) Need to evolve a mechanism to deal with stay orders given by courts
Shrimati Darshana Vikram Jardosh 668
- (xv) Regarding alleged harassment of genuine citizens while updating National Register of Citizens in Assam
Kumari Sushmita Dev 669
- (xvi) Need to set up Trauma Centres at Kanakpura and Channapatna in Karnataka
Shri D. K. Suresh 670
- (xvii) Need for a comprehensive law to prevent sale and export of harmful food stuff
Shri Mullappally Ramachandran 671
- (xviii) Need to establish AIIMS at Sengipatti in Thanjavur district of Tamil Nadu
Shri K. Parasuraman 672

(xix)	Regarding upgradation of National Highway 209 in Tamil Nadu	
	Shri M. Udhayakumar	673-674
(xx)	Need to release balance funds for setting up of four ITIs in Odisha	
	Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh	675
(xxi)	Need to prepare a list of approved engineering colleges in Maharashtra	
	Shri Gajanan Kirtikar	676
(xxii)	Regarding problems faced by Chilli farmers in Andhra Pradesh	
	Shri Jayadev Galla	677
(xxiii)	Need to obtain Presidential assent to the Bill passed by Kerala Legislative Assembly	
	Shri M. B. Rajesh	678
	VALEDICTORY REFERENCE	680-683
	NATIONAL SONG	683
	<u>ANNEXURE – I</u>	
	Member-wise Index to Starred Questions	684
	Member-wise Index to Unstarred Questions	685-689
	<u>ANNEXURE – II</u>	
	Ministry-wise Index to Starred Questions	690
	Ministry-wise Index to Unstarred Questions	691-692

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, April 12, 2017/Chaitra 22, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SEVERAL HON. MEMBERS: Madam, happy birthday to you.

HON. SPEAKER: Thank you.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : सभाध्यक्षा जी, पूरे सदन की तरफ से हम आपको आपके जन्म-दिवस की शुभकामनाएँ देते हैं। आप स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी रहें, यह हम सब कामना करते हैं और आपके नेतृत्व में इस सदन का कार्यकलाप ठीक ढंग से चलता रहे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको डाँटती रहूँ, ऐसा तो नहीं है ना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव) : आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जरूर, आप बिलकुल ऐसा कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

11.02 hours**SUBMISSION BY MEMBERS****Re: Reported uncharitable remarks made by a political activist of West Bengal against the Chief Minister of West Bengal**

HON. SPEAKER: Saugata Royji.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, on this very happy occasion of your birthday where everybody is wishing you many happy returns, I have to mention a very disturbing news in the House.

Day before yesterday, there was a lathicharge on BJP workers in Birbhum District of West Bengal on the issue of Hanuman Jayanti. Lathicharge was done by the police. After that, a BJP youth leader from West Bengal has given a public statement that he would give Rs. 11 lakh to anybody who presents him with Mamata Banerjee's head. This is ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let him speak.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I do not want to raise temperatures further, but this issue is condemnable because Mamata Banerjee is not only the elected Chief Minister of West Bengal and a former Member of this House, but also she is one who has come up from the ranks, from the grass-roots.

So, I take this opportunity to bring this matter to your notice and that of the House. I would urge the Government to take all possible action against such men who create such provocation, especially threatening to behead a popular Chief Minister.

Madam, I thank you for allowing me to speak. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. A. Sampath, Shri Kaushalendra Kumar, Shri P. Karunakaran and Shri Jai Prakash Narayan Yadav are permitted to associate with the issue raised by Prof. Saugata Roy.

माननीय अध्यक्ष : राजेन्द्र जी प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : ... (व्यवधान) इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, वैस्ट-बंगाल में जो घटना हुई है और उसके संबंध में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मैं उन स्टेटमेंट्स को कंडेम करता हूँ। उन्होंने जो कहा है, हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: All of you can associate.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : देश की एक महिला चीफ मिनिस्टर और एक्स मिनिस्टर के विरुद्ध यदि हर जगह यदि ऐसी टिप्पणियाँ की जाएंगी, तो निश्चित रूप से देश में अच्छा माहौल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को एक स्ट्रॉंग मैसेज सरकार की ओर से जाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज कानून की ओर से बंद की जाएगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The Government should respond to it. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इसमें गवर्नमेंट क्या होता है? यह जो पद्धति हो रही है, मेरा कहना है कि एक-दूसरे पर बोलना ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष जी, जो बयान दिया गया है, यह सिरफिरा बयान है। यह पूरा गलत है। इस पूरे बयान को हम कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सुश्री ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्य मंत्री हैं। उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसे किसी भी कॉर्नर से यदि कोई बयान आता है तो हम उसकी पूरी पूरी निन्दा करते हैं और उसे कंडेम करते हैं। ... (व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I have also raised in the House regarding the Chief Minister of Kerala. ... (Interruptions) Now, we hear about the Chief Minister of West Bengal. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : करुणाकरन जी, बैठिए। ज्योतिरादित्य जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: Only the Minister's statement should go on record.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे निवेदन है,

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणु गोपाल जी, बैठिए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी सांसद हैं, यह जो पद्धति हो रही है, चाहे यहां से हो, वहां से हो, पूरी राजनीति में जिस तरीके से आजकल बोलने की पद्धति हो गई है, it is very wrong. मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सभी कहीं न कहीं संयम रखें। हम जनप्रतिनिधि हैं और यह सभी से मेरी अपील है। इधर-उधर एक-दूसरे पर बोलना ठीक नहीं है। यह पद्धति हो रही है। हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

... (व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I have given a notice of Adjournment Motion. ... (Interruptions)

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, the non-BJP Chief Ministers are facing this situation. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, the hon. Home Minister is present in the House. ... (Interruptions) He should respond on the issue raised here. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, we will have the Question Hour.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Dr. Venugopal, what is the matter?

* Not recorded.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL : Madam, I have given a notice of Adjournment Motion. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not now. It is the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is the matter that you want to raise now?

... (*Interruptions*)

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Madam, it is the farmers' issue that we want to raise in the House. ... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL : The farmers from Tamil Nadu have undertaken a protest in New Delhi demanding waiver of agricultural loans that they have taken from the nationalized banks and also to constitute Cauvery Management Board. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will not allow like this. I understand your problem.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: Madam, the agitation is going on for the last 25 days in New Delhi. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, it is about the loan waiver. I can understand.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will not allow anything like this.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, we have festivals coming up in Kerala. ... (*Interruptions*) Please allow me to raise an important issue. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have given him an opportunity to raise the issue because it was something different.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: There is the festival of Easter and Vishu coming up in Kerala. ... (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, there is no money in the treasury. ... (*Interruptions*)

11.09 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER:** Question No. 541, Shri Janak Ram**(Q. 541)**

श्री जनक राम : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो। माननीय मंत्री जी का जो लिखित जवाब मिला है, मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं उसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। संविधान के निर्माता प्रथम कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी की 127वीं जयन्ती को भी धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार ने बी.एस.एन.एल. के नैटवर्क को अन्य निजी कंपनियों के नैटवर्क की तरह ग्रामीण अंचल तक ले जाने हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं? भारत सरकार नेपाल सीमा, जो बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र में आती है, जहां माओवादी तथा वामपंथी उग्रवादी सक्रिय हैं, उस ब्लॉक में दूरदराज ग्रामीण इलाकों में तकनीकी व्यवस्था को कब तक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जाएगा?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न जानना चाहा है, जिस जिले गोपालगंज के वह रहने वाले हैं, लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में जो जिले गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किये गये हैं, वह उनमें नहीं आता है। अब तक उस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में 184 टॉवर्स बी.एस.एन.एल. ने लगाये हैं और हम 66 नये टॉवर्स और लगा रहे हैं, लेकिन संयोग से हमारे माननीय सदस्य का जो जनपद गोपालगंज है, वह उस लैफ्टविंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में नहीं आता है। गया है, अरवल है, औरंगाबाद है, बाकी जो बिहार के कई जिले हैं, उनके जनपद में हमारे 43 बी.टी.एस. काम कर रहे हैं। जिन स्थानों का उन्होंने जिक्र किया है, हथवा से लेकर ब्लॉक हैड क्वार्टर तक जो जिक्र किया है, वहां हमारी टू. जी. और श्री. जी. सेवा अच्छी चल रही है। कोई विशेष स्थान होगा, जहां उनको कठिनाई होगी तो निश्चित रूप से हम देखेंगे।

यह सच है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद पिछले तीन वर्षों में हमने करीब 20,100 बी.टी.एस. टू.जी. के और करीब 20,450 से ज्यादा बी.टी.एस. श्री.जी. के लगाये हैं। पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बी.एस.एन.एल. आया है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम बाकी लोगों की तुलना में ठीक सर्विस दे सकेंगे और हम खड़े होंगे।

श्री जनक राम : माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में बी.एस.एन.एल. के खराब नैटवर्क की शिकायतें आती रहती हैं, जैसे कि संसद भवन के इर्द-गिर्द भी कभी-कभी कॉल-ड्रॉप की समस्या आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्षेत्र के आम लोग मुझे सांसद होने के नाते फोन करते हैं और बीच में ही कट-ऑफ हो जाता है तो हम लोगों को डांट भी पड़ती है। जनता यह सोचती है कि सांसद होने के बाद से आप बात करना नहीं चाहते हैं। ... (व्यवधान) या आपने जानबूझकर फोन काट दिया। इसलिए मेरी मांग है और चूंकि इस इंटरनेट के युग में निजी कंपनी निशुल्क इंटरनेट की सुविधा दे रही है, जबकि बी.एस.एन.एल. इस स्पर्धा के युग में पीछे है। क्या सरकार देश में निवास करने वाले गरीब और गरीबों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क इंटरनेट सेवा देने के बारे में सोच रही है? अगर सोच रही है, तो कब तक यह काम हो पाएगा?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में कई उत्तर जानने चाहे हैं। कॉल ड्रॉप का विषय उन्होंने उठाया है। मैं सदन के समक्ष बताना चाहता हूं कि पिछले 9-10 महीने में ढाई लाख बी.टी.एस. देश भर में हमने लगाये हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, यहां सरकारी भवनों में बी.टी.एस. लगाने का काम हमने शुरू किया है। आर.ओ.डब्ल्यू. रूल्स जब से हमने बनाये हैं, तो 16 पोस्ट ऑफिसों में हमारे टॉवर लग रहे हैं। कुछ और एन.डी.एम.सी. की बिल्डिंग में भी हम ये टॉवर्स लगा रहे हैं। संसद भवन आपका अधिकार क्षेत्र है, यहां पर टॉवर लगाने की अनुमति न आपने दी है और न मैं लगा सकता हूं। लेकिन उसका इंतजाम हमने किया है कि माननीय सांसद महोदय की कॉल ड्रॉप न हो। कई स्थान हैं, जैसे लोधी रोड में वहां जो लोग सुबह टहलते हैं, उन्होंने मना कर दिया और एम.टी.एन.एल. ने जब बी.टी.एस. लगाना शुरू किया तो वहां ऑर्केलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी मना किया और वहां के लोग भी उसका प्रतिरोध करने लगे। मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों से जो ट्राई के पैरामीटर्स हैं, उसमें 60 प्रतिशत सुधार हुआ है। मुझे भरोसा है कि आई.वी.आर.एस. सिस्टम, जो मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें पिछले तीन महीनों में 16 लाख लोगों को हमने फोन कराया है कि आप यदि कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी कैसी समस्या है और उसके उपाय हम कर रहे हैं। हम भरोसा देना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद अब स्पेक्ट्रम भी सर्विस प्रोवाइडर के पास पर्याप्त है। वे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उत्तरोत्तर सुधार हो सके और जनक राम जी को कोई शिकायत न हो।

दूसरे, इंटरनेट सेवा जो एक महत्वपूर्ण परियोजना भारतनेट की है, जिसमें सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने स्वयं रुचि ली है। ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक हम 100 एम.बी.पी.एस. ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहते हैं। प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को हमने लिया है और 90,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर हमने डाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल के अंत या

15 मई तक देश की एक लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर डाल देंगे। दूसरे चरण में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। फ्री में दिया जाए इसके लिए बिहार सरकार से कहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एनाउंस किया है कि विद्यार्थियों को मुफ्त में वाईफाई की सुविधा देगी। निश्चित रूप से यह एक ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में बने, इसमें सरकार लगी है और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करेगी।

SHRI PARTHA PRATIM RAY : Not only in LWE areas, but also in every State in our country, especially in rural and border areas including a district in my constituency, Coochbehar, BSNL network is very poor. Day to day work both in public and private sector, especially in the banking sector, education sector and various on-line services like salary, submissions, scholarships, etc. is hampered due to poor network of BSNL. There is a common tendency to use other networks instead of BSNL. Through you, I would like to ask the hon. Minister: What is the Government's initiative to provide smooth and regular BSNL network throughout the country, especially in rural and border areas?

The Ministry of HRD is going to launch a new e-based education system, SWAYAM. For the success of this programme, the online network coverage should be ensured in the rural areas. What is the Government's initiative in this regard?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, हमने कभी यह दावा नहीं किया है कि पूरे हिन्दुस्तान में भारत संचार निगम लिमिटेड का कवरेज है। जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और देश के अनेक गांवों में बीएसएनएल का नेटवर्क है। इस देश में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं, जहां कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए अनेक योजनाएं भारत सरकार ने बनाई हैं। लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एरियाज़ की बात आई है, हम इसमें कुछ गांव कवर रहे हैं। नार्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए जितने राज्य हैं, वहां के लिए एक विशेष योजना भारत सरकार ने पिछले दिनों स्वीकृत की है। इसके टेंडर की प्रक्रिया आगे चल रही है। हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए लक्षद्वीप और अंडमान के लिए अलग से परियोजना बनाई है और चरणबद्ध ढंग से देश के जो भाग छूट गए हैं, हम उन्हें आने वाले समय में पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो आंकड़ा है, वह 2011 के आधार पर है। हम राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि किस राज्य में कौन से गांव अभी वंचित हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरे भाग के बारे पूछा है, मैंने पहले ही बता दिया कि भारतनैट के माध्यम से हर ग्राम पंचायत तक 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 2018 तक पहुंचा देंगे।

SHRI K. ASHOK KUMAR : Madam, a survey was conducted by Dharmapuri SSA on my request way back in 2016, which has recommended for the installation of BTS in villages – Nochipatty, Pannandur and Chickapoovathy – falling in my parliamentary constituency, Krishnagiri. Due to lack of proper mobile connectivity, more than 40 villages are deprived of mobile communication. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps taken by the Ministry to install the BTS in above named villages to improve the mobile connectivity.

Madam, I had already sent a letter to the hon. Minister in this regard and the same is pending for a year.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस विभाग में मंत्री बने एक वर्ष भी नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं, उन्होंने जो पत्र दिया है, मैं निश्चित रूप से आने वाले 15 दिनों में उसका लिखित उत्तर भी दूंगा और अगर वह उपलब्ध रहेंगे तो मैं फोन द्वारा सूचित भी करूंगा कि क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि संसदीय क्षेत्र में कितने टावर हैं और कितने लगने हैं, अभी उसके बारे में विवरण देना मुश्किल होगा।

श्री निहाल चन्द : माननीय अध्यक्ष जी, भारत संचार निगम का नैटवर्क राज्यों की गंभीर समस्या बनी हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे देशों की फ्रीक्वेंसी भारत में आ रही है। मैं सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूं। मैं राजस्थान के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे राजस्थान में पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में नैटवर्क ही नहीं मिल रहा है। बीएसएनएल के टावर्स इतने कम हैं कि नैटवर्क नहीं मिलता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीमावर्ती राज्यों की सीमा पर टावर लगाने की कोई योजना है, ताकि सीमा पार से फ्रीक्वेंसी भारत में न आ सके।

श्री मनोज सिन्हा : माननीय सदस्य ने सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में जानना चाहा है, यह विभाग की प्राथमिकता में है। मुझे लगता है कि इसकी शीघ्र नीति तय होनी चाहिए। माननीय सदस्य के संसदीय क्षेत्र और देश के बाकी सीमावर्ती इलाकों में यह सुविधा पहुंचे, हम इसकी चिंता करेंगे।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, Happy Birthday! Non-compliance of good business practices by the BSNL staff, both managerial and field, has

brought down this mammoth of a Corporation, a PSU, to its knees. We see the feeling across the House. This shows that the plight of the consumer, at the lowest level, is very bad. The services of the BSNL are very dissatisfactory. I would like to know from the hon. Minister, through you, if the Government has any proposal to create a situation where a small percentage of the shares of the BSNL, which is a hundred per cent Government-owned Company, can be given to its own staff. It would be the best kind of motivation. The staff would feel that it is their company, it is their pride and not of somebody else. This way, they would get a benefit beyond their salaries from the company. Will the Government consider this?

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, माननीय तथागत सत्पथी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है। मंत्रालय का अभी ऐसा विचार नहीं है कि शेयर्स दिये जाएं। यह सौ प्रतिशत गवर्नमेंट-ओन्ड कंपनी है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले दो महीनों में इतनी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बी.एस.एन.एल. के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है और पिछले दो वर्षों में बी.एस.एन.एल. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन बी.एस.एन.एल. में लागू किया गया है और इस तरह के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस गति से बी.एस.एन.एल. आगे बढ़ रहा है, अनेक उतार-चढ़ाव इसमें दिखे हैं। नए एन्टरेन्टस् (entrants) के आने के बावजूद भी हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। यह शुभ सूचक है। मैं समझता हूँ कि बी.एस.एन.एल. इन झंझावातों में पहले भी खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहेगा। उसकी आर्थिक सेहत भी ठीक रहेगी।

श्रीमती रक्षाताई खाडसे : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ट्राइबल क्षेत्र के लिए बी.एस.एन.एल. की कुछ नई स्कीम्स हैं। क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में किसी भी प्राइवेट कंपनी के टॉवर्स नहीं हैं और बी.एस.एन.एल. के भी नहीं हैं, इसलिए लोगों को वहां पर काफी दिक्कतें आती हैं और वहां पर लोगों के लिए काफी रोमिंग चार्जस लगते हैं, धन्यवाद।

श्री मनोज सिन्हा : महोदया, इस सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी इलाके हैं। माननीय सदस्या ने मुझे पिछले दिनों एक पत्र दिया था। मैं उसमें दिखवा रहा हूँ और निश्चित रूप से भरोसा भी देता हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में भी यह सुविधा मिले, हम इसकी चिंता करेंगे।

(Q.542)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, मैं पहले तो आपके जन्मदिन पर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

महोदया, मैं इस प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमूर, जो देश का सबसे पिछड़ा, घना, आदिवासी बाहुल्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साधन-संपत्ति है जैसे- ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, सोना, मैग्नेट, कोयला और विशेष तौर पर 80 प्रतिशत फॉरेस्ट है। फिर भी वहां पर बड़े-बड़े उद्योग-धंधे व कारखाने नहीं हैं। इसका एक ही कारण है, वहां पर आवागमन के साधन न होना, अच्छे रास्ते व अच्छी लाइन न होना। वहां पर वर्ष 2013-14 के बजट में नागभीड़-नागपुर ब्रॉडगेज लाइन मंजूर हो चुकी है। इस रेल लाइन का संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है। पहले इसकी कीमत 401 करोड़ रुपये थी, अब इसकी कीमत 708.11 करोड़ रुपये हो गई है। महोदया, 708.11 करोड़ रुपये मिलने के बाद भी नीति आयोग की मंजूरी न मिलने से अभी तक इस पर काम चालू नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र में स्थित उक्त रेलवे लाइन के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम जल्द से जल्द शुरू करने का है, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र को नक्सलवाद की समस्या से निजात दिलवाकर वहां के युवकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ सकें। क्या मंत्री जी इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, मुझे इस बात के लिए खुशी है कि जिस कारण सम्मानित सदस्य ने बताया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिस-जिस इलाके में है और जो इलाके प्रभावित हैं, उसके तहत वहां पर हम लोगों ने ज्यादा परियोजना शुरू करने की कोशिश की है। मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी उसको पूरा समर्थन दिया है। मुझे यह कहने में खुशी है कि इस परियोजना को लेने के लिए राज्य सरकार और हम मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना रहे हैं, उसके बारे में मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी। इस परियोजना को हम इसी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के तहत पूरा करेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी मीटर गेज लाइंस हैं, हमने उन्हें पूरा का पूरा कंवर्ट करने के लिए इस साल सभी को सैंक्शन दे दी है। यानी सिर्फ यही लाइन नहीं, बल्कि देश में जितनी भी मीटर गेज लाइंस हैं, उन सभी को पूरी मात्रा में ब्रॉड गेज लाइंस में कंवर्ट करने के लिए हम लोगों ने तय किया है और इस तरह से वह काम भी हो जायेगा।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अच्छा उत्तर दिया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दूसरी रेल लाइन वडसा-गढ़चिरोली है। वर्ष 2011-2012 में यह मंजूर

हो चुकी है। इसका प्राक्कलन तैयार है और लैंड एक्वीजीशन का काम भी जोरों से चालू है, परंतु चार-पांच साल बीतने के बाद भी अभी तक यह चालू नहीं हो सकी है।

मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि यह कब तक चालू होगी और क्या इसका मुहूर्त निकालकर भूमि पूजन करके कोई तारीख तय होगी, यही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, आज पूरे देश में चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया, सैंक्शन का मतलब यह है कि इन्हें प्लिक बुक में इनक्लूड किया गया था, लेकिन उसके लिए बजटरी प्रोविजन नहीं था। उसके कारण लोगों को एहसास हो रहा था कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन असलियत में कुछ नहीं हो रहा था। इस स्थिति को टालने के लिए जो भी ऐसी परियोजनाएं हैं, जहां थोड़ा बहुत काम हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ, उन्हें प्राथमिकता देते हुए हम ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं।

महोदया, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सभी सम्मानित सदस्यों को राज्यवार, स्टेटवाइज इंफॉर्मेशन भेजूंगा कि जो पुरानी परियोजनाएं थीं, उन्हें कितनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है और नई परियोजनाएं शुरू की हैं तथा कितने सर्वेज किये हैं, ये सारी जानकारी स्टेटवाइज में सभी माननीय सदस्यों को आठ-दस दिन में भेज दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : थैंक यू। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप बोलिये।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, श्योपुर जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में आता है। यह एक आदिवासी बहुल इलाका है तथा यह बहुत घना जंगली क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लिए ग्वालियर-श्योपुर-कोटा की लाइन का यूपीए की सरकार के समय में शिलान्यास हुआ था। श्री मुनियप्पा जी मेरे साथ में बैठे हैं, हमने 2011 में मिलकर इस लाइन का शिलान्यास किया था, परंतु तब से यह योजना चींटी की चाल से चल रही है। मैं इस बारे में कई बार मंत्री जी से मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि इस साल उस योजना के लिए बजट आबंटन होगा। मुझे सूचना मिली है कि मंत्री जी ने इस साल करीब छः सौ करोड़ रुपये उस योजना के लिए आबंटित किये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इसे कंफर्म कर पायेंगे कि ग्वालियर-श्योपुर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आबंटित हुए हैं या नहीं?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो श्योपुर-कोटा लाइन स्वीकृत है, उसका कार्य हम लोग कब तक शुरू कर पायेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, सम्मानित सदस्य हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि शिलान्यास की हुई योजनाएं पूरी क्यों नहीं हुईं, लेकिन उनके बारे में जानकारी आप ही दे

सकते हैं। ... (व्यवधान) शिलान्यास हो चुका, लेकिन बजट में प्रोविजन नहीं हुआ। इसके लिए जो आपने कहा कि पहली बार हमने उसके लिए बजट में प्रोविजन किया है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है, इसके बारे में पूरी मात्रा में मैं आप सबको राज्यवार पूरी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। आपने सही कहा कि शिलान्यास हो गया और उसके बाद काम नहीं हुआ, परंतु केवल शिलान्यास से प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं होगा, उसके लिए बजटरी प्रोविजन चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में सूचना भेजूंगा। आप हमेशा मिलते रहते हैं, इसलिए हम इसे आगे लेकर भी जा रहे हैं। लेकिन सभी राज्यों के सभी माननीय सदस्यों को मैं संबंधित इंफॉर्मेशन भेजूंगा।

मुझे यह कहने में खुशी है कि पहले सालाना जो 40-50 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन बजट में किया जाता था, उसकी वजह से यह स्थिति आई कि हमने योजनाएं ज्यादा कर दीं और बजट में प्रोविजन कम होता था, लेकिन आप सभी सदस्यों के कारण हम लोगों ने सिर्फ ढाई सालों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए लगाये हैं, इसलिए आपको भी उसका लाभ होगा। मैं आप सभी को जल्दी ही सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा।

श्री हुकुम सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही प्रेरणा मिली है और मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ। शामली जनपद मुख्यालय है। एक शटल ट्रेन दिल्ली और शामली के बीच में शुरू की गई थी। माननीय रेल राज्य मंत्री जी उस समय गए थे। जनता ने उनका स्वागत किया था। इन्होंने और मैंने हाथ में हरी झंडी ले कर उस ट्रेन को शुरू किया था। लेकिन मुझे तकलीफ यह है कि वह ट्रेन आज तक वापस नहीं गई। ... (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि जो घोषणा की जाती है, स्वीकृति होती है, सदन में घोषणा होती है, तो उसकी कोई न कोई समय सीमा भी होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक ही प्रश्न पूछिए न। जो झंडी दिखाई है, उतने का ही प्रश्न पूछिए न।

... (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह : मैडम, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। मेरठ से पानीपत के लिए एक नई रेल सेवा की स्वीकृति हुई थी। क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि दोनों के बारे में कुछ जानकारी मुझको दें।

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, आप जानते हैं कि सभी राज्यों के मिला कर 542 सदस्य यहां पर मौजूद हैं। हर सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो उनकी पूरी जानकारी मैं भेज दूंगा। माननीय सदस्य हुकुम सिंह जी की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। यह जो प्रश्न है, वह विदर्भ की एक लाइन के बारे में है। पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में चलने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी जानना आपका हक है। आपको यह जानकारी मिलनी भी चाहिए। हम जानकारी आपको जरूर देंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो झंडी का कलर देखा था, वह हरी झंडी ही थी। ... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक और बधाई भी देता हूँ कि कल जो आपने मातोश्री की जो रचना की थी, it was a very good drama. अहिल्या जी का जो कैरेक्टर था, वह आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था। आज आपके जन्मदिन के दिन हम यही मांगते हैं कि आप उसी तरीके से ऊंचा उठें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए। यह रिलेटिव नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : Madam, I am not asking about my Parliamentary Constituency. मैं अपने राज्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। सुरेश प्रभु जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने तेलंगाना में बहुत से प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया है, लेकिन मैं आपसे यही विनती करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, जैसे double line from Kazipet to Vijayawada आज तक शुरू नहीं हुआ है। New line from Pandurangapuram to Sarangpur in Bhadrachalam, जहां राम जी बसते हैं, सबको मालूम है कि भद्राचेलम के अंदर राम जी बसते हैं, वह लाइन भी चालू नहीं हुई है। Introduction of a passenger train from Dornakal to Yellandu, जो ट्राइबल एरिया में हैं, इन तीनों का अमाउंट सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक काम टेक ऑफ नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इनको वे कब स्टार्ट करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : फिर से वैसा ही प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा है कि वे राज्यवार लिस्ट भेजेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, माननीय सदस्य ने पहले ही आज के शुभ दिन के बारे में शुभकामनाएं दी हैं, तो मैं मानता हूँ कि इसी शुभकामना के साथ-साथ कोई गिफ्ट तेलंगाना को मिलने के लिए आपकी जो इच्छा है, उसको पूरा करने की हम पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे।

(Q. 543)

श्री नाना पटोले : अध्यक्ष महोदया, हम विज्ञान युग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर आतंकी व साइबर हमले की आशंका है। 20वीं सदी में जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों के ऊपर जो परमाणु बम की घटना हुई थी, उसको हम आज भी नहीं भूलें हैं। मेरा प्रश्न यह है कि परमाणु संयंत्रों को, कम्प्यूटर को साइबर हमले से बचाने के लिए सार्वजनिक इंटरनेट से दूर रखा जाता है, यह ठीक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि संयंत्रों की मुख्य सुरक्षा प्रणाली को संचालित करने वाले कंप्यूटर को हैकरों द्वारा फ्लैश ड्राइव से भेदने की स्थिति से बचाने के लिए उपाय का ब्यौरा क्या है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, आदरणीय सदस्य की चिन्ता सारे हाउस की चिन्ता है। दरअसल इस प्रश्न के दो भाग हैं, एक तो एक्स्टर्नल एग्रेसन है, जिसकी ओर इन्होंने इशारा किया है, जैसे हिरोशिमा-नागासाकी का उदाहरण देकर के इन्होंने कहा है और दूसरा कोई इन हाउस खतरा है। जहाँ तक एक्स्टर्नल एग्रेसन का प्रश्न है, मान लीजिए कोई विदेशी आक्रमण होता है, कोई न्यूक्लियर आक्रमण होता है या कोई मिसाइल के द्वारा आक्रमण होता है, वह विषय थोड़ा सा व्यापक है, उसमें रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की भी भूमिका आ जाती है। एटॉमिक एनर्जी विभाग की ओर से जो इन हाउस किसी मिसहैप या दुर्घटना की आशंका रहेगी, जैसे इन्होंने भी कहा कि उसमें साइबर क्राइम या साइबर अटैक या साइबर इंटूज़न की भी सम्भावनायें हैं। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वैसे भी एटॉमिक एनर्जी में हम दो मंत्र लेकर काम करते हैं। पहला यह है कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन नेक्स्ट। कभी भी न्यूक्लियर जैनरेशन का कोई प्लांट स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाये कि हर प्रकार की सुरक्षा हो। दूसरा मंत्र डिफेन्स इन डेपथ है कि जो भी वहाँ पर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था है, वह पूरी गहराई तक हो, जड़ तक हो। साइबर क्राइम को लेकर जैसे इन्होंने स्पेसिफिक इशारा किया है, एटॉमिक एनर्जी में दो एक्स्पर्ट ग्रुप गठित हुए हैं। पिछली सरकार को भी इसकी चिन्ता रही है और वर्तमान सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर इस बात को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाया है। वर्तमान में यह स्थिति है कि हमारे पास दो इस प्रकार के स्पेशियलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जिनको हम आम लोकप्रिय भाषा में सीसैक और टैफिक्स कहते हैं। सी-सैक की फुल फॉर्म कम्प्यूटर एंड इन्फर्मेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी ग्रुप है और टैफिक्स की फुल फॉर्म टॉस्क फोर्स फॉर इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल सिक्योरिटी है। ये पूर्णतया 24 घंटे इसी कार्य में लगे हैं कि किसी प्रकार का साइबर इंटूज़न न हो। इसके अतिरिक्त जो सार्वजनिक इंटरनेट है, उससे अब एटॉमिक एनर्जी की जितनी व्यवस्था है, उसको अलग रखा गया है और कुछ-एक गिने-चुने लोगों को उस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। उसकी अलग से प्रणाली है, इसलिए आज तक कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो भी जाये, तो इस प्रकार का मैकेनिज्म है कि उसका तीन-चार हिस्सों में हम उल्लेख कर सकते हैं। एक तो वह सेल्फ शट डाउन है, कि तुरन्त प्लांट स्वयं बन्द हो जायेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक इमरजेंसी रिस्पॉंस प्लान रहता है, मान लीजिए जब भी कभी ऐसी कोई घटना हो, जो आज तक कभी हुई नहीं, तो स्वयं खुद-ब-खुद स्पान्टेनीअस्ली हरकत में आ जायेगा। इसी प्रकार हमारे पास इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम भी रहती हैं। इसके अतिरिक्त न केवल हम इस बात से सतर्क हैं, बल्कि समय-समय पर मॉक ड्रिल्स भी की जा रही हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में यह भी एक नई पद्धति आरम्भ की है कि समय-समय पर मॉक ड्रिल करके, ताकि लोग सतर्क भी रहें और उन्हें अभ्यास भी होता रहे।

श्री नाना पटोले : महोदया, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर अग्रसर है, लेकिन देश में परमाणु सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था की कमी की भरपाई के वास्ते, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में हमारी जो एक संस्था रहनी चाहिए, वह आज भी अपने भारत देश में नहीं है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आप हमारी स्वतंत्र संस्था खड़ी करेंगे?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य और हाउस को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जो भी हमारी सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था है, यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। यह किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसका जो भी समय-समय पर अध्ययन किया जाता है या जायजा लिया जाता है, वह उन्हीं मापदण्डों के आधार पर लिया जाता है, जिनकी विश्व के विकसित देशों में प्रैक्टिस है। इसके अतिरिक्त, न केवल इंस्टॉलेशन प्लांट बनने के बाद, बल्कि जब इंस्टॉलेशन प्लांट बनाने की योजना आरंभ होती है, उसी समय से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब यह निर्माण के स्तर पर, कंस्ट्रक्शन स्टेज पर होती है, उस समय भी एक अलग से व्यवस्था है कि हर तीन-तीन महीने के बाद इसका जायजा लिया जाता है। जब कोई प्लांट ऑपरेशनल हो जाता है तो फिर छः-छः महीने के बाद और फिर पांच वर्ष के बाद लाइसेंस रिन्यू करने की भी एक औपचारिकता है। जब तक वह रिन्यू न हो, तब तक प्लांट का काम आगे नहीं चलता है और फिर दस वर्ष के बाद उसका एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू किया जाता है। कहने का संक्षेप में अर्थ यह है कि वही मापदण्ड, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉलो किए जाते हैं, वही हमारे यहाँ भी किए जाते हैं। निश्चय ही एटॉमिक एनर्जी विभाग के भीतर इसके लिए एक अलग-सा मैकेनिज्म और एक अलग-सा विभाग निर्धारित किया गया है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, it is a matter of grave concern, even the International Atomic Energy Agency has expressed its concern, that there is a possibility of cyber security threat from terrorists to the nuclear installations. In my constituency there is the Indian Rare Earths Limited, which comes under the Department of Atomic Energy. Huge deposits of Monazite are there not only in Chavara but also in Alwaye and Manavalakurichi, Tamil Nadu. As the hon. Minister has just cited, no mock drill has been conducted so far.

My specific question to the hon. Minister, through you, Madam, is whether sufficient precautionary security measures have been taken to protect the interests of the workers working in IREL. Since it is a highly radioactive element, their health is being affected. Are the precautionary measures being taken to ensure the safety of the workers and the security of the area as a whole?

DR. JITENDRA SINGH: Speaker, Madam, the hon. Member has asked a very important and a wise Question which is actually divided into two-three parts. As far as mock drill is concerned, I agree with him that there is no mock drill done for Monazite. The mock drill that I was referring to was *per se* in-house mock drill conducted to assess the preparedness in the eventuality of a cyber attack or some other attack happening. So, it was not related to the Monazite mining.

The hon. Member is right, there have been reports in the last one or two years, particularly in some of the very widely read newspapers published from Chennai, South, regarding smuggling and theft etc. though they were not fully substantiated. The hon. Member has rightly said that Monazite is a beach mineral found along the coast of Kerala and to some extent in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. It is an associated mineral. How is the smuggling actually happening? Though this is a prescribed mineral, we do not give licence for extraction of this mineral because this comes under the prescribed item.... (*Interruptions*) I will tell you how it is happening. Basically, this is one of the associated minerals and among these minerals you also have Granite. Granite is one mineral for which sometimes a licence is procured and that is how these newspaper reports emanated. Some mischievous people in the garb of extracting Granite were also found extracting this mineral, which is a source ultimately for Thorium of which India has great reserves. But that has been taken care of. Due cognizance has been taken of this fact.

There are three or four levels at which this theft or smuggling is sought to be checked. As the hon. Member has said, there are radioactive detectors. The State Police is also kept in the loop. The coastal barriers along the sea and ocean are erected so that smuggling does not happen. Over and above that, I would like to add and also share with the House, in the last one or two years we have added one more provision. We have started using the satellite images. Through satellite, from the shades of the images that emerge on the satellite picture, you can detect

the exact store of a given mineral. This can help us in detecting any suspicious activity occurring in a particular area which is known to have Monazite reserves.

I agree with the hon. Member that we still have lots of Monazite reserves which are waiting to be explored. Currently, we have about 12 million tonnes of Monazite reserve which is usable and out of that only 10 per cent, that means one or two tonne, Thorium is expected. Therefore, the need is there and the exploration is also required which is an on-going continuous effort.

(Q. 544)

SHRI ANANDRAO ADSUL : *{Tai', you are Tai of the entire Maharashtra. I would like to greet you on your Birthday on behalf of my Party Shiv Sena.}

HON. SPEAKER: Supplementary, please.

SHRI ANANDRAO ADSUL: Madam, it may be noted that more than 80 per cent channels are common across the DTH operators. In this scenario, enabling sharing of the satellite transponders and earth station facilities may reduce the entry barriers, and also reduce capital and operational expenditure of the operators. I would like to know from the hon. Minister the extent to which the cost will be reduced by sharing the satellite transponders and Earth station facilities.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): Madam, firstly I would like to thank the hon. Member. To answer his question, actually three Departments of Government of India are here today, that is, Department of Space, TRAI and the Ministry of Information and Broadcasting.

The satellites are launched about 36,000 kilometres above the surface of the Earth. They are geo-stationary there. Each of the satellites carry about 24 to 35 transponders and these transponders are used. So, there are three main players. One is the broadcasting company, the other is the individual house that receives signals and in between is the direct-to-home service providers (DTH), who take the link from the broadcasting companies and deliver it to the houses. The method that they use is *via* the satellite mostly, otherwise the cable. Now, we have been in a discussion with TRAI for sometime and based on that, just ten days ago, the TRAI has sent us recommendations that we could perhaps think in terms of using the same infrastructure. I would like to tell the hon. Member that it is a valid point on the face of it. It is because, like he said, among the two main DTH providers, one has 450 channels and the other has 550 channels. Around 350 channels are

* {.....} English translation of the speech originally delivered in Marathi.

same. The same channels are being provided to each of the houses occupying different spaces. So, the space could be combined. It is a valid point on the face of it. However, the set top boxes are different and the codings are different. All these things require deliberations with the users as well as the Ministry. The point has just come to our notice about ten days ago. We will consider it and will take an informed decision on it.

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, the number of foreign operators launching satellites within India has led to a situation where a large capacity is lying vacant in the Q-band transponders meant for the direct-to-home companies. The transponders lease agreement is signed in dollars. It has also become expensive due to the currency fluctuations. These agreements should be signed in rupees. Is the Government prepared to do it or not?

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): Since the growth base of consumers is increasing, the number of broadcasting companies is increasing and therefore, the requirement of transponders is also increasing. Just to give you a figure, in 2014, 77 transponders were in use. But, today, about 104 transponders are in use and 68 more transponders are required. Out of these 104, 39 are indigenous transponders and 65 are foreign leased transponders. Since the Department of Space is also here, they are seized of the matter. Gradually more satellites and transponders would be launched and the Government of India would ensure that as many as possible our own transponders are there to ease the service that the DTH service providers are providing.

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जो संस्तुतियाँ की गई हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को कम से कम लागत पर सुविधाएं एवं सेवाएं मिल सकें, मंत्रालय ने इसकी समय-सीमा क्या तय की है। मेरा यह समय-सीमा के बारे में स्पेशल सवाल है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : मैडम, माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह ट्रांसपोन्डर से संबंधित है। मैं बताना चाहूंगा कि यह एक ओपन मार्केट सर्विस है, इसमें अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसके

अंदर भी बेसिक क्वालिटी एवं बेसिक कॉस्ट फिक्स की गई है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि कोई एक सर्विस ठीक नहीं है, तो वह अपनी सर्विस जरूर चेंज कर सकता है।

(Q. 545)

श्री सुधीर गुप्ता : महोदया, बीआईआरएसी, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद का गठन सस्ते उत्पादों के सृजन के उद्देश्यों से किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बीआईआरएसी अपने उद्देश्यों में सफल रहा और सफल रहा तो कितने प्रतिशत सफल रहा। क्या आप बतायेंगे कि कृषि स्वास्थ्य एवं ऊर्जा सहित कितने क्षेत्रों में बीआईआरएसी ने उपस्थिति दर्ज की है और इस उपस्थिति में मध्य प्रदेश में यह उपस्थिति किस रूप में दर्ज है?

माननीय अध्यक्ष : बहुत सारे प्रश्न एक साथ हो गये।

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि बायरेक जो है, बायो टेक्नॉलाजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। सैक्शन 8 के अंदर यह नो प्रॉफिट आर्गनाइजेशन है, जो बायो टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में नये इनोवेशंस को डेवलप करने के लिए समाज के अंदर लोगों को, इंडस्ट्री को, एकैडमिक वर्ल्ड को सपोर्ट करती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या यह अपने उद्देश्यों में अभी तक कामयाब रही है, तो मैं यह समझता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से बायरेक बहुत सफल रही है। बायरेक बहुत प्रभावी है, बहुत पॉपुलर है और इसके अंदर सपोर्ट सिस्टम्स के लिए ग्रांट मांगने के लिए बहुत बड़े लेवल पर सबमिशन होते हैं। उसमें बहुत मैटिकुलस एसेसमेंट के बाद साइंटिफिक मैथडोलॉजी के साथ जो सिलेक्शन किए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रीम्स पर जब सफलता मिलती है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नॉलाजी है, ये सारे के सारे, जिन-जिन क्षेत्रों की आपने बात कही, चाहे वह एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेज का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हों, सभी में पर्याप्त सफलता मिली है।

जहां तक आपने स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की बात की, तो स्टेटवाइज जो लोग असिस्टेंस के लिए डिटेल्स मांगते हैं, एक स्टेटवाइज स्पेसिफिक व्यक्ति या कंपनी की मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कौन-कौन से लोग उसके कारण लाभार्थी रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है, इसके बारे में अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम विस्तार से उनको जानकारी भिजवायेंगे।

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, आपने जो उत्तर दिया, उससे मैं संतुष्ट हूं और भविष्य में देश के लिए यह बड़ा लाभकारी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बायरेक मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषि को लेकर, मंदसौर जो देश में बड़ा ख्याति प्राप्त स्थान है, उसमें भविष्य में इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या नीचे स्तर पर कार्य-योजना का विस्तार करने के समर्थन में हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन : जैसा मैंने कहा कि यह किसी पार्टिकुलर, आप में से कोई भी व्यक्ति, आपके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, जो इंटरप्रिन्योर बनना चाहता है, जो स्टार्ट अप मूवमेंट के अंदर सपोर्ट सिस्टम चाहता है और

स्पेसिफिकली वह बायोटेक्नालॉजी के लिए फोकस्ड है। वह एकैडमिक वर्ल्ड का हो, वह इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, उसे कोई भी एप्लाई कर सकता है। The procedure for applying is online. सारे सबमिशन लेने के बाद, उसका सारा का सारा सिलेक्शन प्रॉसेस तक, everything is hundred per cent transparent. आपके मध्य प्रदेश के लिए भी, आप जिस पार्टिकुलर संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी कंपनी उसमें एप्लीकेशन दे सकती है। अभी आपने इससे पहले पूछा था, तो मुझे जानकारी दी गई है कि आपकी मध्य प्रदेश की 6 कंपनियों को बायरेक में सपोर्ट किया गया।

HON. SPEAKER: Shri Bidyut Baran Mahato – not present.

DR. SHASHI THAROOR : Thank you, Madam Speaker and let me join the others in wishing you many happy returns of the day.

Madam, biotechnology is, of course, a modern science but a lot of biotechnology is actually building on the same principles as our traditional knowledge. Ayurveda is based on the bio-medical uses of herbs and plants. Same is with the Sidhha and Unani. So I am wondering whether the Minister would consider giving access to the Biotechnology Industry Research Assistance Council to the traditional knowledge practitioners in this country and assist them in conducting further research in order to increase their efficacy to use traditional knowledge and also perhaps even to commercially exploit such knowledge because your Research Council has an industry-academia interface.

I have a Traditional Knowledge Bill pending before the Private Members' Bills of this House. To try and strengthen our traditional knowledge, here is one obvious way that it could be connected to your Ministry's modern 21st century work.

DR. HARSH VARDHAN: Madam Speaker, through you, I would like to inform the hon. Member that firstly there is no bar on any particular system of medicine or its practitioner or those who want to pursue the efforts in that direction. That way any involvement of the Indian system of medicine is firstly welcome.

Moreover, I would like to inform the hon. Member that amongst the various things that we do through BIRAC, as per statistics till now, 50 per cent of them are now actually related to health and out of them another 50 per cent is related to

medical devices and all. So, if there is any particular thing that the hon. Member has in his mind pertaining to the Indian system of medicine, we would definitely like to help and support any such activity.

(Q. 546)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. First of all, I would like to wish you many happy returns of the day.

HON. SPEAKER: Thank you.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Madam Speaker, NBCC and HUDCO have entered into an MoU to develop the land parcels of various Government bodies to increase housing stock and office space in various cities of the country. Under the MoU, HUDCO is supposed to provide funds and design support for construction, while NBCC is expected to use its project management, expertise and technical know-how to develop and market the properties.

I would like to know from the hon. Minister, in the last three and half years, since this MoU was signed, how many properties or houses have been developed by NBCC, the total cost of these projects and how many of these houses are in the affordable housing category?

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, आज के दिन एनबीसीसी का केवल ईस्ट किडवर्ई नगर में कार्यक्रम चल रहा है। ईस्ट किडवर्ई नगर में पहले कुल मिलाकर 2,444 घर हुआ करते थे। रीडेवलपमेंट में बढ़ाकर तकरीबन 4,608 फ्लैट्स होंगे। एनबीसीसी कैटेगरी दो से लेकर कैटेगरी छः तक के फ्लैट्स वहां बना रहा है। आज के दिन कुल मिलाकर उनकी कॉस्ट 5,298 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। इसके अलावा एनबीसीसी और जिन तीन जगहों पर कार्यरत है, वे नौरोजी नगर, दिल्ली, नेताजी नगर, दिल्ली और सरोजिनी नगर, दिल्ली हैं। अभी तक इन तीन जगहों के लिए पूरे तौर पर एनबीसीसी को काम नहीं सौंपा गया है, क्योंकि अभी पूरे घर वेकेट नहीं हुए हैं। जैसे ही घर वेकेट होंगे, इन तीन जगहों पर भी एनबीसीसी काम शुरू कर देगा और कुल मिलाकर पांच साल के अंदर उसे खत्म कर देगा।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : My second question is regarding affordable housing scheme of the Government. The Government is giving major push to affordable housing and it wants to achieve the target by 2022. Hon. Finance Minister, in his recent Budget speech, gave affordable housing the 'infra status' which is going to help these projects to get institutional funding. That is expected to help bring down the cost. The Government is also offering various tax

sops to these projects. However, one of the major components of the cost for housing is land. The cost of construction is very less as compared to the cost of land. Therefore, my specific question to the hon. Minister is: What steps the Government is taking to control prices, especially in major cities like Mumbai and its suburban and its peripheries? I would also like to know whether the low cost institutional borrowings will also be extended to land purchase.

RAOINDERJIT SINGH: Madam Speaker, the land is a State asset. The State has to take a decision on that and not the Ministry of Urban Development. But I would like to say that under the Prime Minister's Awas Yojana, by 2022, we would provide houses to all those who are in the low income group, middle income group and lower sections of society and to do that there are four verticals. Under those verticals only the Government of India gives grants and aids. So, if the State Government takes care of the housing project of the land, then we will provide money to help the person who is building his house there.

12.00 hours

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, एनबीसीसी द्वारा भारत और विदेशों में कई योजनाओं पर अच्छा कार्य किया जा रहा है। एनबीसीसी ने नई दिल्ली और नोयडा में कई इमारतें तैयार की हैं, सरकारी आवास परियोजनाओं में भी कार्य किया है, लेकिन मुंबई में किसी भी क्षेत्र में एनबीसीसी ने कोई परियोजना तैयार नहीं की है, न ही महाराष्ट्र सरकार से कोई करार किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करता हूँ कि भविष्य में एनबीसीसी द्वारा लो-कॉस्ट हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स या हॉस्पिटल्स के लिए महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा।

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के तौर पर एनबीसीसी को तैनात किया जाता है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि एनबीसीसी को काम दिया जाए तो एनबीसीसी काम करने के लिए तैयार है।

12.01 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be laid on the Table.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती सुषमा स्वराज जी की ओर से सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप धारा (3) के अंतर्गत सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध कार्यान्वयन नियम, 2016 जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.का.नि. 672 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6989/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6990/16/17]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Nagpur Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Nagpur Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6991/16/17]

(4) A copy of the Annual Statement (Hindi and English versions) of out of turn discretionary allotments of General Pool Residential Accommodation made in terms of the guidelines dated 17.11.1997 for 5% vacancies occurring in each Type of General Pool Residential Accommodation in a Calendar year for the year 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6992/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(i) The Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.298(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(ii) The Employees' Provident Funds (Seventh Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.299(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(iii) The Employees' Pension (Seventh Amendment) Amendment Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.300(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(iv) The Employees' Deposit Linked Insurance (Second Amendment) Amendment Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.301(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6993/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्री विजय गोयल जी की ओर से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 32 की उप धारा (3) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का पहला परिनियम (तीसरा संशोधन), परिनियम 2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6994/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 753(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th March, 2017, regarding making Aadhaar mandatory for availing benefit under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana under sub-section (2) of Section 58 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6995/16/17]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6996/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6997/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND
MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH
SHARMA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, for the years 2013-2014 and 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, for the years 2013-2014 and 2014-2015.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6998/16/17]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) के मानक विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-5/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

- (2) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संबंध (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6999/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Mukhtar Abbas Naqvi,

I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7000/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7001/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7002/16/17]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7003/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table a copy of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.332(E) in Gazette of India dated 4th April, 2017 under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 7004/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification

No. G.S.R.248(E) in Gazette of India dated 15th March, 2017 under sub-section (2) of Section 9 of the National Highways Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 7005/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. संजीव बालियान जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7006/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Y.S. Chowdary, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7007/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7008/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7009/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam Speaker, I wish you a very happy birthday.

I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7010/16/17]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7011/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7012/16/17]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7013/16/17]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई का वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7014/16/17]

(7) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा का वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7015/16/17]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल का वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7016/16/17]

(11) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना सं. सीयूके/एडीएन/कोर्ट-दो/2016 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 10 का संशोधन किया गया है।
- (दो) अधिसूचना सं. सीयूके/रेग./अध्यादेश/सीयूके/2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 4 के बारे में है।
- (तीन) अधिसूचना सं. 20-53/2016-सीयू3 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 55 के बारे में है।
- (चार) अधिसूचना सं. का.के.वी./एडमिन./एफ सं. 385/14/3488 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 10 से 11 के बारे में है।
- (पांच) अधिसूचना सं. 2-4/2009-एडमिन./7555 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 3, 8 और 10 के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7017/16/17]

(12) (एक) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7018/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7019/16/17]

12.07 hours**MESSAGE FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:--

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th April, 2017 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2017. ”

12.07 ¼ hours**LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE**

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their Eighth Report, presented to the House on 11th April, 2017, have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the Members as indicated in the Report.

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Shri Vinod Khanna | 31.01.2017 to 09.02.2017
&
09.03.2017 to 12.04.2017 |
| 2. | Shri Rayapati Sambasiva Rao | 09.03.2017 to 30.03.2017 |

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

12.07 ½ hours

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
74th Report

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): I beg to present the 74th Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2016-17) on the subject 'XIX Commonwealth Games 2010'.

12.07 ¾ hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes

DR. M. THAMBI DURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Twenty-ninth to Thirty-third sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current Session.

12.08 hours

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES
11th Report

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Madam Speaker, I wish you a very happy birthday.

I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2016-17) on 'Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

12.08 ¼ hours

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to lay on the Table the statement (Hindi and English versions) showing Further Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Report (16th Lok Sabha) on the action taken by the Government on the recommendations contained in the Sixth Report on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2015-16.

12.08 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

17th Report

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'संपदा महानिदेशालय का कार्यकरण, सीपलडल्यूडी और एनबीसीसी द्वारा सरकारी आवासीय भवनों तथा अन्य भवनों का विनिर्माण तथा अनुरक्षण' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 17वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.09 hours**STATEMENTS BY MINISTERS**

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of External Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (GEN. VIJAY KUMAR SINGH (RETD.)): On behalf of Shrimati Sushma Swaraj, I beg to lay the Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of External Affairs.

12.09 ¼ hours

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of External Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (GEN. VIJAY KUMAR SINGH (RETD.)): On behalf of Shrimati Sushma Swaraj, I beg to lay the Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of External Affairs.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. (i)(a) LT 7020/16/17 and (i)(b) LT 7021/16/17 respectively.

12.09 ½ hours

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay the Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

12.10 hours

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 237th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 230th Report of the Committee on the issues related to security at Airports in India pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay a Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 237th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 230th Report of the Committee on the issues related to security at Airports in India pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. (ii) LT 7022/16/17 and (iii) LT 7023/16/17 respectively.

12.10 ¼ hours

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 265th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 265th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

12.10 ½ hours

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 270th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 270th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. (iv)(a) LT 7024 /16/17 and (iv)(b) LT 7025/16/17 respectively.

12.10 ¾ hours

(c) status of implementation of the recommendations contained in the 273rd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 273rd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. (iv)(c) LT 7026 /16/17

12.11 hours**MATTERS UNDER RULE 377***

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding inclusion of aborigines of Santhal Pargana in the list of Scheduled Tribes

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer the matter raised under Rule 377 regarding inclusion of Khetauri, Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes in Parliament and received a reply from Hon'ble Minister of Tribal Affairs. But, amidst all of this, no development has taken place in this regard so far.

It is thus that I want to place a piece of great historical record - a book titled: "The Little World of an Indian District Officer", written by R.Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Pargana was created and named in 1855, and it was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. The details point out that at the time of the Permanent Settlement there was NOT a single Sonthal in the whole of this area. "Shunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders - yes, but Sonthals, no".

It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the nomenclature of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today. Thus the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes.

(ii) Need to run a direct train between Surat and Mumbai

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): गुजरात में सिर्फ उत्तर गुजरात ही एक क्षेत्र है जिसमें पालनपुर, पाटन एवं मेरा निर्वाचन क्षेत्र मेहसाणा यह तीन डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। पालनपुर, मेहसाणा ए क्लास के रेलवे जंक्शन है। इस क्षेत्र की 60 लाख की बस्ती के लिए सूरत-मुम्बई की कोई भी सीधी ट्रेन सुविधा नहीं है। पूरा उत्तर गुजरात सीधी ट्रेन सुविधा से वंचित है।

पालनपुर का डायमंड का कारोबार मेहसाणा में इंडिस्ट्रियल, मिल्क, ऑयल का बड़ा कारोबार है। पाटन में रानाकीवाव नाम से विश्व विरासत स्थल भी है। मोढेरा सूर्य मंदिर के तौर पर बड़ा पर्यटन स्थल है। उंझा एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है और वहां उमिया माता का बड़ा शक्तिस्थल है। तारंगा और मेहसाणा में एक बड़ा जैन मंदिर भी है। वहां श्रद्धालुओं तथा टूरिस्टों का आवागमन भारी मात्रा में रहता है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तौर पर पूरे उत्तर गुजरात का व्यवहार सूरत और मुम्बई में ज्यादा है। सभी गाड़ियां दिल्ली, जयपुर, उधमपुर से अहमदाबाद, सूरत, मुम्बई की ओर चलती है। इसमें उत्तर गुजरात की जनता को सहूलियत कम मिलती है। इसलिए तीनों जिलों की जनता को निजी, लक्जरी, सरकारी बसों तथा वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे जनता को आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है।

मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर गुजरात की जनता की इस वाजिब मांग को स्वीकार किया जाए और पालनपुर-मेहसाणा-पाटन की जनता की सुविधा के लिए सीधी ट्रेन सूरत-मुम्बई के लिए चलाई जाए।

(iii) Need to stop ongoing survey by ONGC in Mumbai High at B-157 and give compensation to fishermen for the loss

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): ONGC has started seismic survey in Mumbai High at B-157, where thousands of fishermen are engaged in fishing to earn their daily bread. However, ONGC has floated tender to Dolphin company to do seismic survey for ONGC where company has prohibited fishing for 3 to 4 months at B- 157 block. This is fifth survey of ONGC. Previously survey was undertaken on four occasions. The fishermen are not allowed to do fishing at neighbouring open sea.

This has created a lot of inconvenience to entire fishing business. The fishing boats are anchored, the working fishing class is idle, the ancillary class like fish transporter, ice suppliers, marketing is affected and there is loss of crores of rupees.

I, therefore, request the government to stop ONGC Survey in Mumbai High at B-157 and give compensation to fishermen.

**(iv) Need to provide a stoppage of Jan Shatabdi Express (Train No. 12069/70)
at Bilha Railway Station in Bilaspur Parliamentary
Constituency, Chhattisgarh**

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.) के अंतर्गत बिल्हा तहसील है, जहाँ से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12069/70 का आवागमन होता है, लेकिन इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की जनता का आवागमन संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र उद्योग और व्यापार की दृष्टि से काफी विस्तृत व महत्वपूर्ण है। बिलासपुर में हाईकोर्ट है, जो न्यायधानी के नाम से जाना जाता है तथा प्रदेश का दूसरा बड़ा विकसित शहर होने कारण नौकरी करने वाले कामकाजी लोग व पूरे प्रदेश के बहुतायत यात्रियों का आना-जाना बिल्हा मार्ग से होता है। अनेकों बार जनता को यात्रा को लेकर परेशान होती रहती है। ऐसी विषम परिस्थितियों तथा जनता की माँगों को देखकर माननीय रेलमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बिल्हा रेलवे स्टेशन को संज्ञान में लेते हुए विभागीय जाँच कराकर जनशताब्दी एक्सप्रेस को यहाँ ठहराव देने की महान कृपा करेंगे।

(vi) Need to review the list of Scheduled Tribes and delete the ineligible Tribes not fulfilling the fixed norms from the list

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश में अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव आ रहे हैं जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं किन्तु जिन प्रस्तावों को मंजूर किया गया है, वे मूल रूप से आदिवासी नहीं है और न ही उनकी प्रकृति आदिवासी जैसी है। केवल अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के लिए एवं सरकारी नौकरी का लाभ लेने के लिए ये प्रस्ताव आ रहे हैं जिनके कारण देश के मूल रूप से पिछड़े, एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास से वंचित अनुसूचित जनजातियों के अधिकार पर एक कुठाराघात है। देश में मुस्लिम वर्ग की जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है जबकि मुस्लिम वर्ग किसी भी मायने में आदिवासी नहीं है और न ही जंगलों में रहते हैं। इन सबके कारण देश के पिछड़े, गरीब एवं राष्ट्रधारा से पीछे रह गये लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देश के संविधान में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो नियम बने हैं वे केवल मजाक बन जायेगी और मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के नागरिक विकास के अवसरों से पूरी तरह से वंचित रह जायेंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपात्र जातियों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के समावेश को रद्द किया जाए ।

(vi) Need to set up Skill Development Centres in Dibrugarh, Assam

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): My constituency Dibrugarh has a large number of tribal population. Majority of this tribal people are engaged in agricultural activities. The poor economic condition of the tribal people has forced them to live in utter poverty and penury. The Ministry of Tribal Affairs provides funds to TRIFED and National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) to implement various schemes for skill and entrepreneurial development programme. I, therefore, urge upon the Hon'ble Minister for Tribal Affairs to open centres for various skill development programmes in my constituency Dibrugarh so that the poor tribal youths can take up jobs or start their own business.

(vii) Need to accord approval to the proposal for setting up a new steel Plant at Chatra in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : झारखण्ड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष दिनांक 28 जून, 2015 को भारत सरकार और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.एल.) के मध्य नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। एन.एम.डी.सी.एल. द्वारा 24 सितम्बर, 2015 को "झारखण्ड कोल्हान स्टील लिमिटेड" (जे.के. लिमिटेड) नाम से सब्सिडी कंपनी बनाई गई। एन.एम.डी.सी.एल., हैदराबाद की एक टीम ने चतरा में 02 दिसम्बर, 2015 को सर्वे किया। राज्य सरकार द्वारा 06 मई, 2016 को चतरा जिले में प्लांट लगाने के प्रस्ताव को एन.एम.डी.सी. के बोर्ड को भेजा गया। एन.एम.डी.सी. बोर्ड ने 25 जुलाई, 2016 को एन.एम.डी.सी.एवं मेकॉन की उच्चस्तरीय टीम को चतरा जिले में स्थल निरीक्षण के लिए भेजा। उच्चस्तरीय टीम द्वारा चतरा के ऊँटा (लक्षणपुर गाँव) में स्थल निरीक्षण के दौरान माना गया कि स्टील प्लांट के लिए यह स्थान बेहतर और उपयुक्त है। प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए आवश्यक 3100 एकड़-भूमि में से चतरा के लक्षणपुर गाँव में 2800 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध है जिसमें वृहत भेड़-बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का 1665 एकड़ और करीब 1300 एकड़ गैर मजरूआ एवं वन भूमि हैं। शेष भूमि रैयती है। भूमि अधिग्रहण के तहत मात्र चार गाँव प्रभावित होंगे। इन गाँवों के रैयत भी प्लांट के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर परियोजना के लिए प्रारंभिक संसाधन उपलब्ध हैं। बुनियादी चीजों में जमीन, पानी, कोयला, यातायात और बिजली उक्त सभी संसाधन उपलब्ध है।

चतरा जिला प्रशासन द्वारा 11 नवम्बर, 2016 को चतरा सदर प्रखण्ड के ऊँटा (लक्षणपुर गाँव) स्थित वृहद भेड़-बकरी प्रजनन क्षेत्र की 1523.38 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है। झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा 05 सितम्बर, 2016 को चतरा में शीघ्र प्लांट लगाने के लिए कहा गया। दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को रांची में एन.एम.डी.सी. की एक उच्चस्तरीय बैठक शुरू हुई थी।

विगत दो साल से कई बैठकें हो चुकी हैं। प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण, वस्तुस्थिति रिपोर्ट, भूमि अन्तरण की प्रक्रिया, राज्य सरकार के प्रस्ताव आदि हो चुका है, परन्तु परियोजना केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है। चतरा जिले को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की बहुत संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार है तथा उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। अतः मैं भारत सरकार के खान एवं इस्पात मंत्री जी से माँग करता हूँ कि मंत्रालय द्वारा एन.एम.डी.सी.एल. को चतरा में स्टील प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाए और अधिसूचना जारी की जाए और शीघ्र तिथि निर्धारित करके प्लांट का शिलान्यास और निर्माण कार्य-शुरू करवाया जाए।

(viii) Need to reduce wastage of food

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): According to an estimate, there is a waste of food grains, fruits and vegetables amounting to Rs. 60,000 crore every year in our country. In the same way, there is wastage of Rs. 60,000 crore food waste in our country. Therefore, hon'ble Prime Minister has called upon the countrymen to stop wastage of food. United Nations through its sustainable development goals have also launched a sustainable consumption and production of food. Therefore, I urge the Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution that issue of food wastage may be taken up so that by 2030 we may be able to halve per capital national food waste at the retail and consumer level and reduce food losses along production and supply chains including post harvest losses. It is must in our country where 75% of rural and 50% of urban population is covered under PDS. Implementation of National Food Security Act effectively may be game changer in the life of poor people and we may be able to provide more food to our poor countrymen.

**(ix) Need to enhance the amount of rehabilitation package for families
displaced from Sariska, Ranthambhore and Mukundra Hills
Tiger Reserves in Rajasthan**

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य के तीन टाईगर रिजर्व यथा सरिस्का, रणथम्भौर एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के क्रिटीकल टाईगर हैबिटेट (सी.टी.एच.) क्षेत्र से विस्थापित होने वाले 108 गाँवों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इन गाँवों में से अब तक कुल 8 गाँव पूर्ण रूप से विस्थापित किये जा चुके हैं तथा तीनों टाईगर रिजर्व के सी.टी.एच. क्षेत्र से 100 गाँव से लगभग 14000 परिवारों को विस्थापित किया जाना शेष है जिसके लिए 1424 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

ग्राम विस्थापन की वर्तमान पैकेज राशि 10 लाख रुपये प्रति परिवार पर्याप्त नहीं है तथा ग्रामवासी इस मुआवजा राशि पर सहमत नहीं हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आय का मुख्य साधन पशुपालन है। ग्रामवासियों के अनुसार उन्हें विस्थापित किया जाता है तो उनके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, उनसे उनका घर एवं रोजगार दोनों ही छिन जाएंगे। दैनिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को विद्यमान राशि रुपये 10 लाख प्रति परिवार के पैकेज को सरिस्का टाईगर रिजर्व हेतु राशि 30 लाख प्रति परिवार एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व हेतु 20 लाख रुपये प्रति परिवार की अभिवृद्धि करना उचित होगा।

अतः सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान पैकेज राशि 10 लाख रुपये प्रति परिवार के पैकेज को सरिस्का टाईगर रिजर्व हेतु राशि 30 लाख प्रति परिवार एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व हेतु 20 लाख रुपये प्रति परिवार की अभिवृद्धि करने की कृपा करें।

(x) Need to construct adequate number of mobile towers in Goa

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Goa with a population of 14.57 lakh have 144 BSNL Telephone Exchanges. The total number of Landline customers is 11,6355, while the number for broadband customer is 53,869. The number of Mobile customers stand at 180,4 5 and the number of WLL customers is 7986. Keeping these facts in view, the existing 374 Mobile Towers, including both 2G and 3G are considered to be inadequate besides their poor service quality. These have led to serious problems in the entire Goa, particularly the rural areas of South Goa. There is no proper connectivity and there is increasing number of call drop. Goa being an important tourist destination, both for domestic and foreign tourists, I would strongly urge upon the Government to look into the problem and immediately arrange for construction of adequate number of mobile towers.

(xi) Need to accord Central University status to University of Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर) : जयपुर राजस्थान की राजधानी है एवं मैं राजधानी से सांसद हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें लगभग 7.50 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय में 35 स्नातकोत्तर विभाग एवं 20 सेन्टर स्थापित है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में देश व विदेश से भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं। इस विश्वविद्यालय में देश व विदेश के 60 व 70 के दशक में सर्वश्री आचार्य जी.सी.पाण्डेय, दयाकृष्ण, सतीश चंद्रा, एस.एस.रामास्वामी, जी.सी.शर्मा, आर.सी.मेहरोत्रा, एस.पी.वर्मा, एन.वी.माथुर, सी.रंगाराजन, राजा.जे.चल्लाइया, राजकृष्णा, इकबाल नारायण, सी.पी. भामरी जैसे विख्यात आचार्य पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय देश के कई विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय में 7 संघटक विश्वविद्यालय व 550 संबद्ध महाविद्यालय हैं। हाल ही में नैक में राजस्थान विश्वविद्यालय को ए श्रेणी का दर्जा दिया है। यह विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें 22 छात्रावास हैं, जिसमें छात्र एवं छात्राओं के अलग-अलग रहने की व्यवस्था है। इस विश्वविद्यालय में शोध पर विशेष ज्ञान दिया जाता है, जो देश व विदेश में प्रख्यात है। यहां के आचार्य जो विद्यार्थी शोध के लिए आते हैं उन्हें नई तकनीकी से शोध का कार्य सम्पन्न कराते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गरिमा स्थापित है। देश व विदेश के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं ने इसके प्रांगण में ज्ञानार्जन किया है। इस विश्वविद्यालय में आचार्य और शिक्षाविद वैश्विक स्तर पर समादृत हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के पास विपुल भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाये एवं ज्ञान गरिमा की प्रतिस्थापना हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये।

(xii) Regarding Problems being faced by people living in remote and inaccessible areas situated near international border

COL. SONARAM CHOUDHARY (BARMER): Border Area Development Programme (BADP) was initiated during 7th Five Year Plan period to meet the special developmental needs and well being of the people living in remote and inaccessible areas situated near international border through provision of infrastructure and promotion of sense of security among the border population. As per guidelines, works can be undertaken in the villages located within 0-20 kms which was amended to include villages upto a distance of 0-50 kms. which is a welcome step. However, there is a rider that works beyond 0-20 kms. can only be taken after “SATURATION” of villages within 0-20 kms. There are numerous development activities. Most works of development have been done in 0-20 kms. areas but bureaucrats are not paying heed to our suggestions.

Member of Parliament is not Member of either District Level Committee (DLC) as well as State Level Screening Committee (SLSC). There are 4 districts in the border areas of Rajasthan and represented by 3 MPs being myself from Barmer & Jaisamer Distts., S/Shri Arjun Meghwal (Bikaner) and Nihal Chand (Sri Ganganagar) have written letters and had personal meetings with the Hon'ble Home Minister four times and officials of Ministry of Home Affairs as recommended by Home Minister drawing attention to the specific needs of the bordering desert areas of Rajasthan. I also raised this matter in Lok Sabha during Zero Hour on 4th March, 2015 and through Questions on several occasions. I am sorry to say that 12.04.2017 Dir. (KVJ) - JR Uncorrected / Not for Publication 311 Hon'ble Home Minister and Minister of State in Ministry of Home Affairs have intention to make MPs member of District Level Committee and State Level Screening Committee but every time our suggestions were scuttled down by bureaucrats in position for reasons best known to them. Certain proposals of

development works are prepared by Border Management Deptt. New Delhi and State Govt. which allegedly stinks of corruption.

I want to mention here that two senior officials at State level in Rajasthan have been suspended but nothing happened at Central Government level officials who are allegedly involved in this episode. I urge the Hon'ble Prime Minister through Madam Speaker, to look into this as 100% funds are provided by Central Govt. under BADP and are being misused in connivance with officials at the level of Govt. of India and Govt. of Rajasthan. I, therefore, recommend the following-

a) Distance is more in a large number of Blocks in the desert districts of Rajasthan and the depth of Blocks being in the range of 100-150 kms and as such should be allowed to be taken up in villages upto 50 kms and word "SATURATION" should be removed from the guidelines so that works can be undertaken under BADP, b)

To have a meaningful monitoring, local MP, if not made Chairman as in the case of other Centrally sponsored schemes (DISHA) should at least be made Member of DLC and SLSC.

(xiii) Need to set up a separate Railway Zonal Headquarters and office of IRCTC at Ranchi, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : मेरा संसदीय क्षेत्र राँची झारखंड राज्य की राजधानी है। इसका जोनल रेल हेडक्वार्टर हाजीपुर बिहार में है, जो चक्रधरपुर, धनबाद, राँची और आद्रा डिवीजन कार्यालय से काफी दूरी पर स्थित है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। किसी भी ऑफिशियल को रेलवे का काम करवाने में काफी समय लग जाता है। ये चार डिवीजन को मिलाकर एक जोनल हेडक्वार्टर राँची में स्थापित किया जाए एवं जोनल ऑफिस में कोर्डिनेट करने के लिए एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। जिस तरह से जोनल ऑफिस ओडिसा में बनाया गया है। साथ ही इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन का कार्यालय राँची में बनाया जाए। इससे कैटरिंग का काम बढ़ेगा एवं यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। इसका कार्यालय खोलने के लिए झारखंड सरकार के साथ एमओयू भी हो चुका है। इसके ऑफिस के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय राँची में जगह भी मिल जाएगी। साथ ही अनुरोध है कि राँची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस का कार्य राँची को दिया जाए। अब तक इस ट्रेन का मेंटेनेंस का काम दिल्ली से ही होता है जिसके चलते राँची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का साफ-सफाई, खान-पान की व्यवस्था सही नहीं रहता है।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वर्तमान हाजीपुर जोनल रेलवे ऑफिस के अंतर्गत चक्रधरपुर, धनबाद, राँची एवं आद्रा रेलवे डिवीजन को अलग कर राँची में अलग से रेलवे जोनल हेडक्वार्टर बनाया जाए। आई.आर.सी.टी.सी. का कार्यालय राँची में स्थापित किया जाए और राँची राजधानी एक्सप्रेस का मेंटेनेंस कार्य दिल्ली की बजाए राँची में किया जाए।

(xiv) Need to evolve a mechanism to deal with stay orders given by courts

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): There are huge number of cases which are stuck up with stay order in various courts of our country. Due to stay order, court cases are not proceeding further since a long time. This is a loophole of our independent judicial system. Many cases related to revenue of the Government are also stuck up with stay orders which block revenue of the Government.

Under this circumstances, I would like to request Central Government to make special law or mechanism so that, stay orders given by courts are applicable only for specific duration and after completion of the duration, stay order is automatically nulled. The duration of court stay orders should be decided by concerned courts according to merit of the case.

**(xv) Regarding Alleged harassment of genuine citizens while updating
National Register of Citizens in Assam**

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): The National Register of Citizens is in the process of being updated in Assam being funded by the Government of India with an aim to delete the names of illegal foreigners. Simultaneously, the local police is trying to detect suspected foreigners in Assam. This process is turning out to be extremely arbitrary in many cases where genuine citizens of India are being detained and harassed despite having valid proof of Citizenship. This is causing unrest and fear especially amongst the Bengali speaking people in Assam. Such arbitrary action must be stopped immediately by the Ministry of Home.

**(xvi) Need to set up Trauma Centres at Kanakpura and
Channapatna in Karnataka**

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): National Highways (NH) 209 and 275 run through my Bangalore Rural constituency. NH 209 is from Bangalore to Dindigul in Tamil Nadu and nearly 120 Kms of this highway run through my Constituency. NH 275 is from Bangalore to Mysore and nearly 80 Kms of this highway run through my constituency. The traffic has increased on the highway and as a result the number of accidents and deaths are rapidly rising. The number of people died in fatal accidents on NH 209 and 275 only in the Ramanagara district area was 767 in three and a half years. Unfortunately, Trauma care is not available easily on the National Highway for long stretches as there are no major hospitals other than in Bangalore and Mysore. Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to set up Level II Trauma Centres at Kanakapura on NH 209 and at Channapatna on NH 275.

**(xvii) Need for a comprehensive law to prevent sale and export
of harmful food stuff**

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Of late an alarming situation has arisen in the health sector of Kerala and several other states across the country. It is distressing to note that incidence of lifestyle diseases like cancer, hypertension, diabetes, kidney ailments etc. are frighteningly on the increase. All studies go to show that apart from lack of proper exercise, the contamination in fruits, vegetables and other food stuff due to use of pesticides, insecticides and excessive chemical fertilizers are the main causes for this malaise. Large consignments of mangoes and other fruits exported to European and other countries are rejected on account of such contamination. Hence I request the Minister for Consumer Affairs to bring about a comprehensive law to prevent sale and export of such harmful food stuff and ensure stringent food safety.

(xviii) Need to establish AIIMS at Sengipatti in Thanjavur district of Tamil Nadu

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): I would like to urge the government to expedite setting up of AIIMS in Tamilnadu at Sengipatti in Thanjavur District. The proposal for establishment of AIIMS in Tamil Nadu was announced in the Union Budget 2015-2016. The Central Team constituted by the Ministry of Health and Family Welfare had visited Tamil Nadu as early as 23 - 25 April, 2015 to all the places identified by the Government of Tamil Nadu including the Sengipatti in Thanjavur district. The central team had also submitted its reports to the Government. However, so far the final decision regarding the location suited for this project has not been announced by the Government of India. It is further learnt that Sengipatti in Thanjavur District has been identified as the best suited location for setting up of AIIMS. Accordingly, our Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu had already urged the Hon'ble Prime Minister of India on 27-02-2017 to expedite establishment of AIIMS at Sengipatti, in Thanjavur District. Thanjavur is the central part of the state and it covers Tiruvarur, Tiruchirappalli, Nagappatinam, Pudukottai, Ariyalur, Perambalur, Chidambaram, Cuddalore, Sivagangai and Karur districts. In case of setting up of AIIMS in this district, it would not only be beneficial to the population of above said districts but also cover the entire state. Therefore, I once again request the government to notify the proposed location of AIIMS at Sengipatti in Thanjavur District along with necessary financial sanction.

(xix) Regarding upgradation of National Highway 209 in Tamil Nadu

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): National Highway 209 - Dindigul to Bangalore Via (Palani-Coimbatore-SathyamangalamHasanur) constructed in the year 1950 connects Bangalore with Coimbatore and Dindigul. There is an increasing demand to widen this 268 km National Highway (NH) 209 from Dindigul - Tamil Nadu to Karnataka border because of the traffic and growth on the Dindigul Coimbatore-Bangalore section as it will ensure smooth flow of traffic.

Currently, the NH-83 (earlier known as NH 209) route is in a bad condition. It has numerous curves which pose a threat to motorists. The initial proposal is to widen the entire stretch into a four-lane road. The project has two sections: from Dindigul to Coimbatore and from Coimbatore to Karnataka border. The proposal will include four major bridges, 30 minor bridges, vehicular and passenger underpasses, and road over bridges and as many as six bypass roads between Dindigul and Coimbatore. The total project cost is estimated to be about Rs. 3,000 crores (excluding the land cost).

Meanwhile, it is learnt that the Central Government has approved widening of the road from Pollachi to Coimbatore though it is part of NH 83. The National Highways Authority of India awarded (NHDP IV), Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi, an order worth Rs. 414,90,00,000/- (Rupees Four Hundred and Fourteen Crore Ninety Lakh only) towards “Rehabilitation and up-gradation of NH- 12.04.2017 Dir. (KVJ) - JR Uncorrected / Not for Publication 319 209 from Km. 123.550 to Km. 150.400 of Dindigul - Bangalore Road (Pollachi to Coimbatore Section) to four lane with paved shoulder in the State of Tamil Nadu under NHDP — IV on EPC basis “to be completed within a period of 24 months from the appointed date. It is learnt that the National Highways Authority of India (NHAI) has not yet finalised the feasibility study to widen National Highways 83 (earlier known as NH 209) from Dindigul to Pollachi which runs through Oddanchathiram, Palani and Udumalpet.

I request the Ministry of Road Transport & Highways to commence the work under National Highways Development Project for the entire stretch of NH 209. The bypasses are to be built in Oddanchathiram, Chatrapathi, Ayakkudi, Madathukulam, Udumalpet, provide service roads and bypass roads for the safe movement of local people along many highways.

Six bypasses, six rail-over bridges and two major bridges on Shanmuganadi river near Palani and the Amaravathi near Madathukulam must also be part of the project. Passenger and vehicular underpasses are also to be built in the project that will include service roads, rest areas and bus bays.

(xx) Need to release balance funds for setting up of four ITIs in Odisha

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): The State Government has availed 50% of the committed Central Financial Assistance of Rs.20.00 crores i.e. Rs. 8.10 crores towards capital expenditure for establishment 4 new ITIs at Bhandaripokhari in district Bhadrak, Daringbadi in district Kandhamal, Kotagarh in district Kandhamal and Kutra in district Sundargarh during financial year 2015-16. The Rural Works Department (RWD) has taken up civil construction of all the 4 ITIs with provision of Rs.10.00 crores during 2016-17.

I request the Minister of Minority Welfare Affairs to release the balance of 50% of the committed Central Financial Assistance of Rs. 20.00 crores so that civil construction and procurement of goods could be taken up.

(xxi) Need to prepare a list of approved engineering colleges in Maharashtra

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Engineering Colleges get approval on the condition that they follow AICTE guidelines. In Maharashtra there are about 109 Engineering Colleges whose affiliation has been withdrawn because they were unable to follow all the guidelines of AICTE and many students are unable to appear for their final engineering.

The Central Government Institute had arranged a document compliance camp on the premises of VJTI College on 18th April, 2016. In this regard, I request the AICTE to publish the information about approved engineering colleges in Maharashtra and the number of seats per course for respective colleges and make it mandatory on the part of the colleges to display the list at the entrance of colleges.

In addition, in the academic year 2017—18, a Special Task Force can be created which will inspect the colleges which give admissions to students but have been disapproved and strict action should be taken against such colleges.

If the corrective action is taken, it will help many students from being cheated by fake engineering colleges.

(xxii) Problems faced by Chilli farmers in Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I had raised this very issue on 30-3-2017, and expected Government of India to help Chilli farmers in Andhra Pradesh, but nothing has been done. This forces me to raise this issue again since situation is getting worse day-by-day.

When I mentioned this issue on 30-3-2017, farmers were getting Rs. 6,000 - 8,000/quintal for their produce which was much lower than last year price of Rs. 14000 - 15000/quintal. But, now, reports indicate that farmers are not getting even Rs. 5,000/quintal. So, farmers are now planning to store chillis in cold storage and sell their produce when they get a better price. But, banks are not giving them loans by mortgaging chillies which is the usual practice at the time of crisis. It is forcing them to go to private moneylenders who are charging interest at Rs. 2 - 3/month which is exorbitant from any point of view.

Secondly, they are not giving more than Rs. 1,500/quintal as loan. Banks officials are saying they have orders from higher authorities not to give loans to chilli farmers. This is sheer discrimination. I request Government of India to immediately direct banks to give loans to chilli farmers at 7% rate of interest, purchase chillies from farmers through Market Intervention Scheme by fixing MSP at Rs. 12,000/quintal, take steps to promote exports and provide cold storage facilities at market yards to store their produce during crisis without going to banks and, most importantly, there is immediate need to set up Chilli Board since chillis aren't getting attention from Spices Board. An independent Chilli Board would have addressed the current chilli crisis and sufferings of chilli farmers.

**(xxiii) Need to obtain Presidential assent to the Bill passed by
Kerala Legislative Assembly**

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The Kerala Assembly had unanimously passed a Bill in 2011 to set up a tribunal to obtain compensation for the people of Plachimada village of Palakkad. The village was devastated due to over-exploitation of water by Coca-cola plant. The entire area became uncultivable and faced severe drinking water shortage. An expert committee appointed by the Government of Kerala estimated a loss of Rs. 216 crore to the people of that area and recommended to set up a tribunal. Though the Bill was passed 6 years ago, the Union Home Ministry has not yet sent the Bill for the Presidential assent.

I urge upon the Government to immediately send the Bill for Presidential assent.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, what about ‘Zero Hour’? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये। अभी कुछ नहीं होगा।

...(व्यवधान)

12.12 hours**VALEDICTORY REFERENCE**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र आज समाप्त हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस बजट सत्र का पहला भाग माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में दोनों सभाओं के एक साथ समवेत सदस्यों को 31 जनवरी, 2017 को किए गए संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ।

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में वर्ष 2017-18 का केन्द्रीय बजट 1 फरवरी, 2017 को सामान्य और रेल बजट, दोनों बजटों को एक साथ मिलाकर पेश किया गया।

इस सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें हुईं, जो 176 घंटे और 39 मिनट चलीं। इनमें से 7 बैठकें सत्र के पहले भाग में और 22 बैठकें दूसरे भाग में हुईं।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर 31 जनवरी, 2017 को रखी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर 10 घंटे और 38 मिनट तक चली बहस के पश्चात् 7 मार्च, 2017 को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा 8 और 9 फरवरी, 2017 को हुई, जो 9 घंटे 58 मिनट तक चली।

सभा 9 फरवरी, 2017 को स्थगित की गई, ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें।

सत्रावकाश के पश्चात् बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च, 2017 को आरंभ हुआ।

दूसरे भाग के दौरान रेल, कृषि और किसान कल्याण, रक्षा तथा गृह मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के पूर्णतः स्वीकृत होने से पूर्व उन पर 26 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। वर्ष 2017-18 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में शेष मंत्रालयों की अनुदानों की अन्य सभी बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 20 मार्च, 2017 को ये पूरी-पूरी स्वीकृत हुई तथा संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (रेलवे) और वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) एक्सेस डिमांड्स को पारित किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक भी उसी समय पारित किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को 3 घंटे 46 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात् पारित किया गया और संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया।

सभा में 21 और 22 मार्च, 2017 को फाइनेंस बिल पर चर्चा हुई और इसे पारित किए जाने से पहले 8 घंटे और 41 मिनट तक चर्चा हुई। माननीय सदस्यगण वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूरी बजट प्रक्रिया को पूरा करना हमारे सांसदों की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है, जिसकी सराहना 5 अप्रैल, 2017 को भी यहां से की गयी है। इससे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए 1 अप्रैल से धनराशि उपलब्ध हो गई थी। चालू सत्र के दौरान 24 सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए और कुल मिलाकर 23 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - पेमेंट ऑफ वेजेज (अमेंडमेंट) बिल, 2017, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स बिल, 2017, मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016, एडमिरैल्टी (ज्यूरिडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मेरीटाइम क्लेम्स) बिल, 2016, एनिमी प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2016, कांस्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) ऑर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017, मेंटल हेल्थकेयर बिल, 2016, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च (सेकण्ड अमेंडमेंट बिल), 2016, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल, 2017, दि टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2016, मोटर वेहिकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2016, कांस्टीट्यूशन (123rd अमेंडमेंट) बिल, 2017, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संरक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017।

विधायी क्षेत्र में इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जीएसटी से संबंधित चार विधेयकों - सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल, 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) बिल, 2017 और यूनियन टेरिटरी गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, का पारित होना भी है।

सत्र के दौरान 560 तारांकित प्रश्नों में से 136 से अधिक प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, 6,440 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और सभा के औपचारिक कार्य के समापन के पश्चात् शाम को देर तक बैठकर लगभग 541 मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी करीब 494 मामले उठाए। इस सत्र के दौरान, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 68 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में एसडीजी के बारे में भी नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा हुई और यह चर्चा अभी निरंतर है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकार कार्य के बारे में दिए गए पांच वक्तव्यों सहित, अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 51 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने करीब 1,864 पत्र सभा पटल पर रखे।

जहां तक प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का संबंध है, सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 158 विधेयक पुरःस्थापित गए किए गए। श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा नौवें सत्र के दौरान पांच अगस्त, 2016 को पेश किए गए, सिक्स्थ शिड्यूल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव को 10 मार्च, 24 मार्च और सात अप्रैल, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, विधेयक पर चर्चा सात अप्रैल को भी पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को छठे सत्र के दौरान पेश किए गए संकल्प, जिस पर आठवें और नौवें सत्र के दौरान क्रमशः 6 मई और 29 जुलाई, 2016 को चर्चा की गयी थी, पर सत्र के दौरान आगे चर्चा 23 और 31 मार्च, 2017 को की गयी। तथापि, चर्चा 31 मार्च, 2017 तक पूरी नहीं हो पाई।

इस सत्र में व्यवधानों के कारण आठ घण्टे, 12 मिनट का समय व्यर्थ हुआ, लेकिन सभा ने 28 घण्टे और 40 मिनट देर तक बैठकर, अर्जेंट गवर्नमेंट बिजनेस पारित किया। इस तरह से, यह अत्यंत सार्थक और उत्पादक सत्र रहा जो हम सभी की साख के लिए भी बहुत-बहुत अनुकूल है।

मैं माननीय उपसभापति और सभापति तालिका (Panel of Chairmen) में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारु रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध सभी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं। आप सभी को भी धन्यवाद है और मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार हम देश के लिए काम करते रहेंगे।

12:21 hours**NATIONAL SONG**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब 'वन्दे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

12.22 hours

The Lok Sabha then adjourned sine die.
